न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

105

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 38/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/61

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

इक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर, 302109
पंजीकृत कार्यालय – 4 फ्लोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोन्डेंट्स–

1. श्री रमेश चन्द्र वैष्णव पुत्र श्री मुरलीदास वैष्णव, पता – 13, शेरगढ, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा राजस्थान (ऋणी)
2. श्रीमती ममता पत्नि श्री रमेश चन्द्र वैष्णव, पता – 13, शेरगढ, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा राजस्थान (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 21.09.2022

इक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय जयपुर, पंजीकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री रमेश चन्द्र वैष्णव पुत्र श्री मुरलीदास वैष्णव, पता – 13, शेरगढ, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा राजस्थान (ऋणी) 2– श्रीमती ममता पत्नि श्री रमेश चन्द्र वैष्णव, पता – 13, शेरगढ, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा राजस्थान (सहऋणी) को दिनांक 25–10–2017 को 940000/– (अक्षरे नौ लाख चालीस हजार मात्र) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 25–11–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 25–11–2021 तक कुल बकाया ऋण राशि 928536 रू. (नौ लाख अठ्ठाईस हजार पॉच सौ छत्तीस रुपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। गिरवीकृत अचल सम्पत्ति श्री रमेश चन्द्र वैष्णव पुत्र श्री मुरलीदास वैष्णव के नाम माताजी मन्दिर के पास ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बॉसवाडा सर्वे नं. 376, 1 बीघा 6 बिस्वा [illegible] है को बतौर प्रतिभूति हित से

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:25 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

[illegible] किया है, उसे आधिपत्य मे लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/मास्टर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी **ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, 4 फ्लोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू** को भारत का राजपत्र सं. 5 दिनांक 04.02.2017 अनुसार दिनांक 23.12.2016 डीबीआर.पीएसबीडी. सं. 7144/16.02.002/2016–17– भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की दुसरी अनुसूची मे बैंक को शामिल करने निर्देशित किया है। प्रकरण मे 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे बैंक/वितिय संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **दिनांक 09–12–2021** को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक **25.10.2017** रु. **940000/– (अक्षरे नौ लाख चालीस हजार मात्र)** ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर **दिनांक 25.11.2021 को एन.पी.ए.** के रुप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणो ने दिनांक 01.09.2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। न्यायहित में अप्रार्थीगणो को जवाब हेतु समय दिया गया। ततपश्चात् अप्रार्थीगण पेशी दिनांक 21.09.2022 को अनुपस्थित है। बार बार रुक रुक कर ऋणी/अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नही किया एवं अनुपस्थित है, अप्रार्थीगणो का जवाब बंद किया जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय बहसी सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा [illegible] के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:25 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

ऐसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner